

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ 21(5)2023-24 / विकास / प्रमुवसं / 112199

दिनांक 05/03/2024

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के बजट आवंटन समसंख्यक आदेश क्रमांक 8785 दिनांक 03.10.2023 परिशिष्ट-ख के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु लेखा मद 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101- वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, (11)- जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक, 63-वृक्षारोपण में उप वन संरक्षक, झुन्झुनू के पत्रांक 1678 दिनांक 04.03.2024 द्वारा समर्पित लक्ष्य एवं मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 1177 दिनांक 04.02.2024 से प्राप्त प्रस्तावानुसार आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु पूर्व में आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य		जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य हेतु संशोधित आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
		भौतिक लक्ष्य (है0में)	वित्तीय लक्ष्य (रू.लाखो में) @41216 per Ha.	भौतिक लक्ष्य (है0में)	वित्तीय लक्ष्य (रू.लाखो में) @41216 per Ha.
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	700	288.51	650	267.91
मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	100	41.22	150	61.82
	योग:-	800	329.73	800	329.73

अन्य शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेंगी। आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(5)2023-24 / विकास / प्रमुवसं / 112200-112207

दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर ।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग , जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक, झुन्झुनू / अजमेर ।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर